

सेवा में,

(कार्यालयप्रमुख का पदनाम तथा पता)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 के अधीन राशि के भुगतान के लिए प्राथना पत्र ।

महोदय,

मैं ..... दिनांक ..... से सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 का सदस्य रहा हूँ । मैं 58/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पर्यन्त सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुका हूँ । मैं दिनांक ..... से केन्द्रीय सरकार की सेवा से मुक्त हो गया हूँ । मैं केन्द्रीय सरकार की सेवा से निवृत्त होने/सेवा मुक्त होने से पहले ..... पद पर कार्यरत था । अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 के अधीन देय राशि का भुगतान करने की कृपा करें ।

भवदीय,

:- योजना के सदस्य बनने का माह तथा वर्ष अंकित करें ।

No. 10-1/ /CGEIS/Bills  
Bills Section,  
Central Research Institute,  
Kasauli.

Reference attached application from Shri \_\_\_\_\_  
Central Research Institute, Kasauli in Form No. 4 who retired from Govt. Service on \_\_\_\_\_  
for payment of accumulation under Central Govt. Employees Group Insurance Scheme (New).

The detail of deduction on account of CGEIS made from the employee of the Institute and the amount of payment which become due after including the amount of interest thereon is given below:-

Sl. No.	Name and Designation	Month of Subscription	Date of retirement	Group	Total amount deducted	Amount payable including interest

In accordance with Para 8.1 of 00 No. F.15 (3)/78-WIP dated 31.10.1980 and No. 7 (33)-EV/86 dated 01.01.1988 from the Govt. of India. Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi, the benefits from Saving Fund under the CGEIS (New) Saving fund as mentioned above, are due to him.

Orders are solicited whether the bill of the above incumbent for arranging the payment of CGEIS (New) Saving Fund may be prepared and sent to the Pay and Accounts office, Ministry of Health and Family Welfare, Delhi.

Office Superintendent

Accounts Officer

कार्यालय आदेश संख्या: .....

भरत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग ) कार्यान्वयन एतद् के दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या: एफ. 15 (3) -78 / डब्ल्यू. आई. पी. के पैरा (11) (1) में कार्यालयाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संस्थान के भूतपूर्व कर्मचारियों, जो सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं/ निष्काशित कर दिये गये हैं और जिन्होंने सेवा से त्याग पत्र दे दिया है को उनसे केन्द्रीय कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत प्रायर्त्तों को लेने के लिए फार्म संख्या: (4) में विदित आवेदन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय अनुसंधान सरकारी कर्मचारी बीमा योजना (नई सामूहिक योजना) के अधीन निम्न राशि अदा किये जाने की संरक्षीकृति प्रदान की जाती है-

नाम तथा पदनाम	सेवा निवृत्ति / निष्काशित / त्याग पत्र की तिथि	वर्ग	अश्दान की अवधि	कुल वसूल की गई राशि	व्याज सहित कुल देय राशि

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान,  
कसौली, दिनांक

निदेशक